



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ०राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 05/11

निर्णय दिनांक:-06.09.2018

1. गणेशाराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी चक 9 एल.एम. तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. पूर्णाराम पुत्र लालूराम जाति सुथार निवासी रामड़ा तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार पूगल।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18-01-2008
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थिति:-

1. श्री करण सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बहादुरराम सुथार, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 18-01-2008 जिसके द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को दिनांक 24-09-1990 को ग्राम रामड़ा के खसरा नम्बर 211/3 की 44 बीघा भूमि आवंटित थी जोकि चकबन्दी के आने के पश्चात् चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/19, 203/27, 203/28 व 203/35 में पैमूद हुई। जिसमें से चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/28 के किला नम्बर 2 व 3 अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 203/27 के किला नम्बर 25 की 18 बिस्वा भूमि को छोड़कर 38.10 बीघा भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमित कर दी गई तथा मुरब्बा नम्बर 203/28 व 203/27 की 2.18 बीघा भूमि के लिए अपीलांट द्वारा स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र तत्समय ही प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 12-10-2010 को पुनः उपरोक्त 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त भूमि स्माल पेच में आवंटित की दी गई। जिस पर आवंटन दिनांक से ही अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी राज भूमि के स्मालपेच आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता भी कायम की गई। उक्त वरियता में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य काश्तकार पूर्णाराम, चतराराम व बिशनाराम आदि की वरियता कायम की गई।

उन्होंने आगे बताया कि जब वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता कायम की गई तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि-धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों

पर कुठाराघात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोजेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/28 के किला नम्बर 2 ता 3 में कुल रकबा 2 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काशतकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम

वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशांसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाइ जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादगत् भूमि की खातेदारी भी प्राप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को रेस्पोडेन्ट के आवंटन के बजाय उसकी खातेदारी को चैलेंज किया जाना चाहिए था। जैसा की अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह करने के नियम से ग्राम रामड़ा के खसरा नम्बर 211/3 की 44 बीघा भूमि का आवंटन होना बताया गया है, उक्त आवंटन उच्चतर न्यायालयों द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अपीलांट का कथन कि खसरा नम्बर 211/3 चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/19, 203/27, 203/28, 203/35 में चकबन्दी आने पर पैमूद हुई। इस संबंध में अपीलांट द्वारा सूची नम्बर चार प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति व दिनांक आदि का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन व आधारहीन होने से काबिल खारिज अपील है। लिहाजा अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांटअब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोजेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई के साथ-साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-01-2008 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 20-01-2011 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/28 के किला नम्बर 2 ता 3 में कुल रकबा 2 बीघा भूमि का स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट को दिनांक 24-09-1990 को ग्राम रामड़ा के खसरा नम्बर 211/3 की 44 बीघा भूमि आवंटित थी जोकि चकबन्दी के आने के पश्चात् चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/19, 203/27, 203/28 व 203/35 में पैमूद हुई। जिसमें से चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/28 के किला नम्बर 2 व 3 अनकमाण्ड, मुरब्बा नम्बर 203/27 के किला नम्बर 25 की 18 बिस्वा भूमि को छोड़कर 38.10 बीघा भूमि राज्य सरकार के आदेशानुसार नियमित कर दी गई तथा मुरब्बा नम्बर 203/28 व 203/27 की 2.18 बीघा भूमि के लिए अपीलांट द्वारा स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र तत्समय ही प्रस्तुत कर दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 12-10-2010 को पुनः उपरोक्त 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि के स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त भूमि स्माल पेच में आवंटित की दी गई। जिस पर आवंटन दिनांक से ही अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

(4) दूसरी तरफ रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का कथन है कि वादगत् भूमि चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/28 के किला नम्बर 2 ता 3 में कुल रकबा 2 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है।

इसी क्रम में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 का यह भी कथन है कि अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट का कथन कि खसरा नम्बर 211/3 चक 2 एल.एम. के मुरब्बा नम्बर 203/19, 203/27, 203/28, 203/35 में चकबन्दी आने पर पैमूद हुई। इस संबंध में अपीलांट द्वारा सूची नम्बर चार प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपील काल्पनिक आधारों पर प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलांट का कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत किया गया था उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति व दिनांक आदि का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यहीन व आधारहीन होने से काबिल खारिज अपील है।

(5) प्रकरण में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में यदि रेस्पोजेन्ट संख्या 1 इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जाये कि अपीलांट द्वारा अपने आवंटन के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

तब भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट के मुर्बे में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को जो नोटिस जारी किया गया उसकी विधिवत तामील नहीं करवाई गई है। अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की पुस्त पर अंकित रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों पर विधिवत रूप से तामील नहीं करवाये गये है अदालत मातहत द्वारा मात्र नोटिस की औपचारिकता पूर्ण करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया जाना साबित है।

(6) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित काश्तकार व अपीलांट जिसके धारण में इसी मुर्बे में भूमि निहित होने पर भी अपीलांट को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन प्रथम

वरियता के आधार पर अनुशांसा की गई है। जबकि अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 के नियम 14 के तहत स्माल पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बे में निहित अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जाँच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रुटि है कारित करते हुए आराजी जैर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

(8) अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट की अपील आशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-01-2008 उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि वादगत् भूमि पूर्व में ही अपीलाट को बतौर स्मालपेच आवंटित भूमि रही है ऐसी स्थिति में अपीलाट के आवंटन को बहाल रखा जावे अन्यथा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलाट व अन्य चिपते काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ०राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर